

न्यायालय:— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 17/2015  
संस्थित दिनांक—12.01.2015  
फाईलिंग नंबर—230303000122015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—  
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोजन

वि रू द्ध

1. राजाराम पुत्र बदले सखवार उम्र 61 साल
2. वीरसिंह पुत्र राजाराम सखवार उम्र 23 साल
3. रामवती पत्नी राजाराम सखवार उम्र 56 साल
4. पपीना पत्नी होतम सखवार उम्र 24 साल
5. कविता पत्नी रणवीर सखवार उर्फ कल्लू

उम्र 23 साल

समस्त निवासीगण ग्राम नावली थाना गोहद चौराहा

.....आरोपीगण

न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा के द्वारा  
उनके न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1117/14 में दिनांक  
06.01.15 को पारित उपार्पण आदेश से उद्भूत सत्र प्रकरण।

राज्य द्वारा ए0जी0पी0 श्री भगवान सिंह बघेल  
अभियुक्तगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला एड0

( नि र्ण य )

(आज दिनांक **23 मई 2015** को घोषित )

01. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 498—ए, 304 बी भा0द0वि0 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11—12.10.2014 की दरम्यानी रात्रि एवं उसके पूर्व विवाह के पश्चात से ग्राम नावली अंतर्गत थाना गोहद चौराहा पर मृतिका कविता पत्नी वीरसिंह उर्फ छोटू सखवार से दहेज की मांग की एवं मृतिका कविता के पति व पति के नातेदार होते हुए दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की और मांग पूर्ति न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण कार्य किया। तथा विवाह के सात वर्ष के भीतर उस दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से इस तरह प्रताड़ित किया कि मृतिका कविता ने फांसी लगा ली जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में हुई जो कि दहेज मृत्यु की श्रेणी में आती है।

02. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि कविता का आरोपी वीरसिंह के साथ दिनांक 20.06.14 को हिन्दू रीति—रिवाज से ग्राम जयसिंह का पुरा बरहे तहसील मिहोना जिला अंबाह में हुआ था। तथा यह भी

निर्विवादित है कि आरोपी वीरसिंह मृतक का पति, राजाराम ससुर, रामवती सास, पपीना और कविता पत्नी रणवीर सखवार जिठानियों हैं।

03. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि मृतिका कविता पत्नी वीरसिंह सखवार की दिनांक 11-12.10.2014 की दरम्यानी रात्रि में फांसी लगाकर मृत्यु हो जाने की अकाल मृत्यु की प्रथम सूचना थाना गोहद चौराहा को दिनांक 12.10.14 को प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक-39/14 अंतर्गत धारा-174 सी0आर0पी0सी0 पंजीबद्ध कर मर्ग जांच की जाने पर यह जानकारी हुई कि आरोपीगण ने मृतिका से दहेज के संबंध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और इसी कारण उक्त क्रूरतापूर्ण व्यवहार के चलते मृतिका की शादी के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उक्त मर्ग जांच पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में अप0क्र0-240/14 अंतर्गत धारा-304 बी, 498 ए सहपठित धारा-34 भा.द.वि. तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.10.14 को ही लेखबद्ध की गई। तथा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, नक्शामौका बनाया गया व जप्ती गिरफ्तारी आदि की जाकर संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. जेएमएफसी श्री पंकज शर्मा द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक-1117/14 आदेश दिनांक 06.01.2015 के द्वारा मामला सत्र विचारण का होने से धारा 209 द0प्र0सं0 के तहत उपार्पित किया जो कि माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय सत्र खण्ड भिण्ड के अंतरण आदेश के द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

05. प्रस्तुत किए गए अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा-4 एवं धारा-498-ए 304-बी भा0द0वि0 के तहत दिनांक 06.02.2015 को आरोप विरचित कर विचारण किया गया। विरचित आरोपों को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण द्वारा अपराध करने से इन्कार किया गया। आरोपीगण ने धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। तथा बचाव किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

06. प्रकरण में विचाराधीन आरोपों के निराकरण हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है -

1. क्या दिनांक 11-12-10.2014 की दरम्यानी रात्रि में व उसके पूर्व व विवाह के पश्चात आरोपीगण द्वारा मृतिका कविता से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जाती रही?
2. क्या आरोपीगण ने मृतिका कविता के पति व पति के नातेदार होते हुए कम दहेज का उलाहना देकर उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर एवं उसके पूर्व मोटरसाइकिल की मांग की और मांग पूर्ति न होने पर मृतिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?
3. क्या मृतिका श्रीमती कविता की विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई?

4. क्या मृतिका ने श्रीमती कविता ने आरोपीगण की दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में फांसी लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हुई?
5. क्या मृतिका की मृत्यु दहेज मृत्यु की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो दण्ड—

07. अभियोजन की ओर से प्रकरण में आलोक शर्मा (अ0सा0-1), राजेशसिंह (अ0सा0-2), रामलली यादव (अ0सा0-3), बंटी (अ0सा0-4) रानी उर्फ रीना (अ0सा0-5), सगुना (अ0सा0-6), राकेश (अ0सा0-7), राजाबेटी (अ0सा0-8), जगदीश (अ0सा0-9), कैलाशप्रसाद (अ0सा0-10), वीरेश (अ0सा0-11), नारायणसिंह (अ0सा0-12) एवं अनूप (अ0सा0-13), दाताराम (अ0सा0-14), गोपसिंह यादव (अ0सा0-15), अमरनाथ वर्मा (अ0सा0-16) की साक्ष्य कराई है। अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-23 तक के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। तथा प्रकरण में साक्ष्य के दौरान आरोपिया रामवती का गिरफ्तारी पंचनामा एवं मार्ग सूचना दोनों प्र0पी0-3 के रूप में त्रुटिवश डबल अंकित कर दिये गये हैं। इसलिये मार्ग सूचना को प्र0पी0-3 ए के रूप में पढा जावेगा तथा प्र0पी0-15 के रूप में कोई दस्तावेज अंकित नहीं है। तथा साक्षी सगुना का पुलिस कथन प्र0पी0-13 के बाद राजाबेटी का पुलिस कथन प्र0पी0-15 के रूप में अंकित हो गया है तथा प्र0पी0-14 त्रुटिवश छूट गई है इसलिये कथनों में जिस रूप में प्रदर्श अंकित हैं, उसी रूप में साक्ष्य में पढे जा रहे हैं। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं हुई है।

### **—::—निष्कर्ष के आधार :-**

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 03 का निराकरण**

08. इस संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य में मृतिका के बड़े भाई बंटी अ0सा0-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि कविता उसकी बहन थी जिसका विवाह आरोपी वीरसिंह के साथ एक जून-2014 को हुआ था और उसने घटना 12 अक्टूबर-2014 की बताई है कि उसे कविता की ससुराल ग्राम नावली से इस आशय का फोन आया था कि कविता कुंदे पर साड़ी से फंदा लगाकर मर गई है जिस पर वह गया था। तब उसे कविता साड़ी से फांसी लगाकर कुंदे पर मरी मिली थी। उसने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस को मृतिका कविता की शादी का कार्ड आर्टिकल-ए जप्त करना बताया है। तथा प्र0पी0-10 के जप्ती पत्र मुताबिक उसे जप्त किया जाना भी कहा है तथा कविता की कक्षा-8 की अंकसूची की छायाप्रति भी पुलिस को जप्त कराना बताया है। प्र0पी0-10 के संबंध में और शादी के कार्ड के संबंध में घटना के विवेचक एस0डी0ओ0पी0 अमरनाथ वर्मा अ0सा0-16 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में उक्त साक्षी के अनुरूप ही अभिसाक्ष्य दिया है। और दिनांक 15.10.14 को शादी का कार्ड व अंकसूची की फोटोप्रति जप्त करना बताया है।

09. अभिलेख पर आर्टिकल-ए का शादी का कार्ड और अंकसूची की जो छायाप्रति जप्त करना बताया है। उसका कोई खण्डन नहीं है।

अभियोजन कथानक में भी जो साक्ष्य आई है, उसमें मृतिका कविता का आरोपी वीरसिंह के साथ दिनांक 20 जून-2014 को विवाह होना बताया गया है जैसा कि आर्टिकल-ए के शादी के कार्ड में भी अंकित है जिसे अभियोजन द्वारा प्राप्त कर प्र०पी०-10 के द्वारा जप्त किया गया है। कथानक मुताबिक घटना 11-12 अक्टूबर-2014 की दरम्यानी रात्रि की है जिसकी मर्ग की कायमी प्र०पी०-3 ए मुताबिक दिनांक 12.10.14 के सुबह 10.15 बजे थाना गोहद चौराहा में की गई थी। इस तरह से मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर की होकर विवाह के करीब चार माह के अंदर की है। अतः उक्त बिन्दु प्रमाणित होता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 04 का निराकरण

10. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-1 ने दिनांक 12.10.14 को सी०एच०सी० गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस थाना गोहद चौराहा के आरक्षक अजीत सिंह द्वारा मृतिका कविता पत्नी वीरसिंह का शव परीक्षण हेतु लाये जाने पर दोपहर पश्चात 2.00 बजे उसका शव परीक्षण करना बताया गया है और मृतक के किये गये शव परीक्षण में बाह्य परीक्षण में पाया कि मृतिका सामान्य कद काठी का था उसके शरीर पर हरी साड़ी ब्लाउज उपस्थित थे। शरीर में अकड़न उपस्थित थी। मुंह के दांये भाग पर सूखे हुए लार के निशान थे, जीभ दांत के पीछे थी, आंखें बंद थीं। गर्दन के चारों तरफ लाल रंग की साड़ी का फंदा मौजूद था, फंदे की गठान बांयी तरफ थी गठान सरकने वाली थी। मृतिका के पंजे नीचे की तरफ झुके हुए थे तथा उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे।

11. उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि आंतरिक परीक्षण करने पर उसने मृतिका के खोपड़ी व कपाल साबुत पाये थे। कंठ व श्वास नली मुंह तथा ग्रासनली, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, व गुर्दा लालपन लेकर कंजस्टेड था। हृदय का दाया चैम्बर खून से भरा था तथा बांय चैम्बर खाली था। पेट में खाने के आधे पचे हुए कण उपस्थित थे, छोटी आंत खाली थी, बड़ी आंत में मल उपस्थित था। मृतक के शरीर का गर्भाशय खाली था, मृतिका के गर्दन में मौजूद लाल साड़ी जिससे फंदा लगाया गया था, सीलपैक कर साथ आये आरक्षक को सौंपी थी, साड़ी की लंबाई गठान से किनारे तक 10 फीट थी। मृतिका के शरीर से जिगर, तिल्ली, गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, छोटी आंत व पेट के टुकड़े नमक के घोल में सुरक्षित रखकर सील पैक कर आरक्षक को सौंपे गये थे। एक डिब्बे में नमक का घोल का नमूना सील पैक कर साथ आये आरक्षक को सौंपा गया था।

12. उक्त चिकित्सक ने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी०-1 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए यह राय व्यक्त की है कि मृतिका की मृत्यु फांसी से दम घुटने के कारण हुई थी। फांसी मृत्यु के पूर्व की थी और शव परीक्षण करने के छः घण्टे के भीतर की थी। मृतिका के शरीर में टुकड़े रासायनिक परीक्षण हेतु संकलित कर दिये गये थे। मृत्यु का कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निकाले जाने की भी राय व्यक्त करते हुए शव परीक्षण करने वाली चिकित्सक टीम में डॉ० धीरज गुप्ता का भी शामिल रहना बताया है।

13. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि मृतिका द्वारा फांसी के करीब 4-5 घण्टे पूर्व भोजन ग्रहण किया गया होगा जिसके शरीर में मृत्यु पश्चात की भी अकड़न थी। तथा उसके मुताबिक फांसी रात में करीब दो बजे लगाई गई होगी। मृतिका के शरीर पर, गर्दन में फांसी के फंदे के निशान के अलावा अन्य कोई चोट शरीर पर नहीं थी। मृतिका को मानसिक रूप से विक्षिप्त रहने के कारण फांसी लगने की संभावना से इन्कार किया गया है तथा यह भी व्यक्त किया गया है कि मृतिका के शरीर पर प्रतिरोध के चिन्ह नहीं थे। अर्थात् प्र0पी0-1 की शव परीक्षण रिपोर्ट मुताबिक संघर्ष के चिन्ह मृतिका के शरीर पर नहीं पाये गये हैं जिससे फांसी के माध्यम से हुई मृत्यु की प्रकृति सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में आत्महत्यात्मक स्वरूप की हो जाती है। उक्त चिकित्सक की अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-1 का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित होता है जिससे मृतिका कविता की मृत्यु दिनांक 11-12 अक्टूबर-2014 की दरम्यानी रात्रि में करीब 2.00 बजे के आसपास फांसी के फंदे से दम घुटने के कारण होना चिकित्सीय साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

14. मृतिका के शव परीक्षण के दौरान संकलित किये गये विसरा घोल नमूना की जप्ती प्र0पी0-2 के माध्यम से प्र0आर0 गोपसिंह अ0सा0-15 द्वारा करना बताया है जिसका समर्थन आरक्षक राजेशसिंह अ0सा0-2 ने भी किया है। विसरा की रिपोर्ट प्रकरण में पेश है। जो धारा-293 (i)(v) (क)द0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है। जिसका अवलोकन करने पर विसरा में कोई रासायनिक विष नहीं पाया गया है। इसलिये अन्य किसी कारण से मृत्यु होने की स्थिति अभिलेख पर नहीं आई है। प्र0पी0-3 ए की मर्ग सूचना जिसे मृतक के भाई बंटी अ0सा0-4 ने लेखबद्ध कराना और प्र0आर0 गोपसिंह यादव अ0सा0-15 ने उसे लेखबद्ध करना बताया है जिसमें भी घटना के अंदर फांसी पर लटकी हुई स्थिति में कविता का शरीर पाया गया जिसने प्र0पी0-6 का लाश उतारने का पंचनामा तैयार करना बताया है जिसके संबंध में भी बंटी अ0सा0-4 एवं राकेश अ0सा0-7 को परीक्षित कराया गया है। बंटी ने पुलिस द्वारा कविता के शव को फांसी से उतारने के संबंध में प्र0पी0-6 का पंचनामा बनाया जाना बताया है। प्र0पी0-6 पर राकेश अ0सा0-7 अपने हस्ताक्षर करना तो स्वीकार करता है और यह भी स्वीकार करता है कि कविता की शादी के करीब चार माह बाद ससुराल में फांसी लगने की उसे जानकारी मिली थी। तब वह ग्राम नावली में कविता की ससुराल गया था। तब पुलिस द्वारा कविता के शव को फांसी से नीचे उतारा गया। इस तरह से प्र0पी0-6 का दस्तावेज अ0सा0-4 व अ0सा0-7 की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। इससे भी मृतिका कविता पत्नी वीरसिंह की सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में ससुराल में रहते हुए फांसी लगाने से मृत्यु होना प्रमाणित होता है।

15. प्रकरण में अब यह देखना होगा कि क्या मृतिका कविता को आरोपीगण द्वारा पति व पति के नातेदार होते हुए विवाह से लेकर मृत्यु के बीच दहेज की मांग की गई और मांग पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से पताड़ित किया गया जिसके कारण ही उसकी उक्त प्रकार से फांसी द्वारा सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में मृत्यु हुई या नहीं। यह अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य व विधिक उपधारणा का मूल्यांकन करते हुए विश्लेषित करना होगा।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 01, 02 व 05 का निराकरण

16. उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।

17. चूंकि प्रकरण में बताई गई घटना सात वर्ष के भीतर की है। ऐसे में सर्वप्रथम धारा— 113 (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके अनुसार धारा—113 (बी) साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा तभी बनाई जा सकती है जबकि यह दर्शित किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने स्त्री की दहेज मृत्युकारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण रहा था।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिये दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जैसा कि भा.द.वि.की धारा—498 ए में उल्लेखित है। इस संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **बब्लू उर्फ जामसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य (3) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0—65** में धारा—113(बी) साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि दहेज की मांग तथा मृत्यु पर आधारित क्रूरता का प्रभाव के मध्य, निकट तथा सही कडी का अस्तित्व होना चाहिए। यदि ऐसा स्थापित नहीं होता तो दहेज मृत्यु की उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती।

18. धारा—304 बी भा0द0वि0के अपराध के लिये जिन आवश्यक तत्वों का प्रमाणित होना आवश्यक है उनमें निम्नलिखित पांच तत्व हैं:—

1. संबंधित महिला की मृत्यु जलकर अथवा ऐसी शारीरिक चोट द्वारा अथवा सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हो।
2. मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर हो।
3. महिला को परेशान किया गया हो और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।
4. ऐसा व्यवहार पति या पति के नातेदार द्वारा किया गया हो।
5. वह क्रूरता अथवा उत्पीडन दहेज को लेकर की गई हो तभी अपराध पूर्ण होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **श्रीमती शांतिबाई विरुद्ध हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 1991 एस0सी0 पेज—1226** में बताया है।

19. परीक्षित साक्षियों में से आरक्षक रामलली यादव अ0सा0—3, आरोपिया रामवती, पपीना व कविता के गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0—3 लगायत 5 के पंच साक्षी हैं, और दाताराम अ0सा0—14 आरोपी वीरसिंह एवं राजाराम के गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—21 व 22 के पंच साक्षी हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ दिनांक 13.10.14 को ग्राम नावली से उक्त गिरफ्तारी पत्रकों के माध्यम से की जाना घटना के विवेचक अमरनाथ वर्मा अ0सा0—16 ने भी बताया है। गिरफ्तारी के संबंध में कोई अन्यथा स्थिति नहीं है जिससे आरोपीगण की दिनांक 13.10.14 को विचाराधीन मामले से संबंधित अपराध में गिरफ्तारी होना प्रमाणित होता है किन्तु गिरफ्तारी पत्रकों के आधार पर ऐसी कोई उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है कि आरोपीगण के द्वारा

मृतिका कविता को दहेज की मांग कर पूर्ति न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिसके चलते उसने फांसी लगाकर सामान्य से अन्य परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त किया है।

20. अन्य परीक्षित साक्षियों में से अ0सा0-4 लगायत अ0सा0-13 मृतिका के मायके पक्ष के परिजन होकर रिश्ते के साक्षी होकर हितबद्ध हैं। ऐसे में उनकी अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **महेन्द्र सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2004 भाग-1 एम0पी0सी0जे0 पेज-274** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है।

21. धारा-498 ए भा.द.वि. के अपराध के लिये यह स्थापित होना आवश्यक है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन साल तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'क्रूरता' में निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(क) जान-बूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना हो या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रताड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

22. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा-3 के उल्लंघन हेतु धारा-4 के अपराध के लिये यह सिद्ध होना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है और उक्त अधिनियम की धारा-2 में दहेज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार : इस अधिनियम में 'दहेज' से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उससे पूर्व या पश्चात किसी समय —

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई या दी जाने के लिये करार की गई है किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (वरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण— मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो भा.द.वि. 1860 (1860 का 45) की धारा-30 में है।

23. मृतिका के परिजनों में से मृतिका के बड़े भाई बंटी अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दहेज के संबंध में कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया है और यह कहा है कि उसे जब वहन कविता की फांसी की सूचना मिली थी



तब वह ग्राम नावली में अपने ताउ कैलाशप्रसाद, नारायण, केदार, और घर की महिलाओं को साथ लेकर गया था। लेकिन उसने कविता की मृत्यु के संबंध में ससुराल वालों पर शंका होने की बात प्र0पी0-3 की मर्ग सूचना में लिखाने से इन्कार करते हुए मर्ग सूचना पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं और यह भी कहा है कि कविता की लाश फांसी से उतारी गई थी, उसका पंचनामा बनाया गया था। फिर शव परीक्षण कराने के लिये प्र0पी0-7 का लाश पंचनामा पुलिस ने बनाया व शव परीक्षण के बाद उसे लाश प्राप्त हुई थी जिसकी उसने प्र0पी0-8 की रसीद भी दी थी। चौराहा पुलिस ने उसके सामने प्र0पी0-9 का नक्शामौका भी बनाया था लेकिन कथन लेने से वह इन्कार करते हुए पुलिस को प्र0पी0-11 का ए से ए भाग का कथन देने से इन्कार करता है।

24. इस साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपीगण जो कि मृतिका के पति, सास, ससुर व जिठानियों हैं, उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर प्रताड़ित किया जिसके कारण कविता ने फांसी लगा ली। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि दहेज मांगने और ताने मारने के संबंध में कविता जब मायके आती थी तब उसे व उसके घरवालों का इस बारे में बताती थी और यह भी कहती थी कि मोटरसाइकिल नहीं देने पर मार देंगे। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि कविता के मायके में इस संबंध में बताने के 8-10 दिन बाद जब वह और उसके परिजन कविता की ससुराल गये थे और आरोपीगण को समझाया था तब भी आरोपीगण नहीं माने। और उससे भी यह कहा कि यदि मोटरसाइकिल नहीं दोगे तो उनकी बहन को ठीक से नहीं रखेंगे। इस बात से भी इन्कार किया है कि उनके सामने भी आरोपीगण ने कविता की मारपीट की थी। राजीनामा से भी उक्त साक्षी ने इन्कार किया है। और दस्तावेजों जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में यह कहा है कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। क्या लिखा है, उसे नहीं पता। आरोपीगण उसकी बहन कविता को दहेज के लिये परेशान नहीं करते थे न मारपीट की। बल्कि उसके मुताबिक कविता गुस्सैल स्वभाव की होकर मानसिक रूपसे परेशान थी इसलिये उसने फांसी लगा ली।

25. इस तरह से उक्त साक्षी के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध दहेज मृत्यु की उपधारणा बनाये जाने हेतु कोई भी तथ्य अपनी अभिसाक्ष्य में नहीं बताया है और अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी बताते हुए पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी आरोपीगण के विरुद्ध कोई तथ्य सुसंगत घटना के संबंध में नहीं आये हैं।

26. अ0सा0-4 की तरह ही मृतिका की भाभी रानी उर्फ रीना अ0सा0-5 ने अभिसाक्ष्य देते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-12 का पुलिस कथन देने से इन्कार किया है। इसी तरह मृतिका की चचेरी भाभी सगुना अ0सा0-6 ने भी समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-13 का पुलिस कथन देने से इन्कार किया है तथा मृतिका की माँ राजाबेटी अ0सा0-8 ने भी कोई समर्थन न करते हुए प्र0पी0-15 का मृतिका के पिता अ0सा0-9 ने प्र0पी0-16 का, मृतिका के चाचा कैलाशप्रसाद अ0सा0-10 ने प्र0पी0-17 का, मृतिका के चचेर भाई वीरेश अ0सा0-11 ने प्र0पी0-18 का, मृतिका के दूसरे चाचा नारायणसिंह अ0सा0-12 ने प्र0पी0-19 का और मृतिका के दूसरे भाई अनूप अ0सा0-13 ने प्र0पी0-20



का कथन पुलिस को देने से इन्कार करते हुए अपने अभिसाक्ष्य में बंटी अ0सा0-4 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आये तथ्यों को ही दोहराया है। अर्थात् उक्त साक्षीगण से किसी ने भी अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है। जबकि वे मृतिका के मायके पक्ष के परिजन होकर घटना के लिये सर्वाधिक महत्व के साक्षी थे क्योंकि उन्होंने मृतक द्वारा भी दहेज के लिये प्रताड़ना बाबत, शिकायत करना, घटना के पूर्व बताया था। स्वयं घटना के पूर्व ससुराल जाने पर स्वयं उक्त साक्षियों ने भी पुलिस कथानक में मृतिका व उनसे मोटरसाइकिल की दहेज में मांग करते हुए मृतिका की मारपीट करना और मांग पूर्ति न होने पर परेशान करने की बात कहना बताई थी जिसका कोई भी समर्थन अ0सा0-4 लगायत 13 द्वारा अपनी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया गया है जिसके कारण धारा-113 (ख) साक्ष्य विधान के तहत विवाह के सात वर्ष के भीतर की सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में मृत्यु कविता की फांसी द्वारा मृत्यु की बात के बारे में दहेज मृत्यु की उपधारणा नहीं की जा सकती है। न ही उसके लिये आरोपीगण को दोषी ठहराया जा सकता है।

27. अब प्रकरण में केवल विवेचक एस0डी0ओ0पी0 अमरनाथ वर्मा अ0सा0-6 का ही अभिसाक्ष्य और कराया गया है जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में घटना की कायमी की गई। तथा मार्ग सूचना प्र0पी0-3 ए की जांच करना भी बताया है और जांच के आधार पर धारा-304 बी, 498 ए, 34 एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध पाते हुए प्र0पी0-23 की एफ0आई0आर0 कायम करना बताया है। तत्पश्चात विवेचना में साक्षीगण के कथन व जप्ती, गिरफ्तारी सहित नक्शामौका आदि की कार्यवाही करना बताते हुए प्र0पी0-9 का नक्शा बंटी की निशादेही पर बनाना बताया है जिसका बंटी ने भी समर्थन किया है। नक्शामौका प्र0पी0-9 के प्रमाणित होने न होने से तथा अ0सा0-4 लगायत 13 के अभिसाक्ष्य में घटना मृतिका कविता के ससुराल वाले घर की होने की पुष्टि अवश्य होती है। किन्तु आरोपीगण के द्वारा किसी भी तरह की प्रताड़ना किये जाने की साक्ष्य न होने से प्र0पी0-23 की एफ0आई0आर0 को अ0सा0-16 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसलिये अ0सा0-16 का अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप का हो जाता है और उससे कोई भी बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है।

28. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के वैधानिक दृष्टि से पात्र हैं। और अभियोजन का मामला उनके विरुद्ध पूर्णतः संदिग्ध है इसलिये आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा-3 का उल्लंघन प्रमाणित न होने से उक्त अधिनियम की धारा-4 से एवं भा.द.वि.की धारा-498 ए, 304 बी के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

29. आरोपीगण रामवती, पपीना व कविता पत्नी रणवीर सखवार जमानत पर हैं अतः उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। किन्तु आरोपीगण राजाराम व वीरसिंह न्यायिक निरोध में हैं अतः उनके जेल वारण्टों पर नोट लगाया जावे कि आरोपीगण को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता न हो तो

उन्हें तत्काल इस प्रकरण में रिहा किया जावे।

30. प्रकरण में जप्तशुदा मृतिका से संबंधित विसरा एवं पोटली अपील अवधि पश्चात मूल्यहीन होने से विधिवत नष्ट की जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

31. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर सूचनार्थ भेजी जावे।

दिनांक: **23 मई— 2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड